बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 165

निजता की रक्षा

न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण ने हाल ही में पुत्तास्वामी फैसले (इसी फैसले ने यह सुनिश्चित किया था कि निजता एक मूल अधिकार है) की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक परिसंवाद में एक उल्लेखनीय बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल को संसद में जिस प्रकार का बहुमत प्राप्त है, उसे देखते हुए वह डेटा प्राइवेसी (निजता) विधेयक पारित किया जा सकता था जो उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उतनी ही आसानी से पारित हो सकता था जितनी आसानी से एटीएम से पैसे निकाले जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता की सुरक्षा के लिए विशिष्ट कानून की अनुशंसा करीब दो वर्ष पहले की थी। श्रीकृष्ण समिति की अनुशंसा और मसौदा कानून भी वर्षभर पहले सौंपे जा चुके हैं। इस बीच संसद में कई विधेयक पारित किए गए लेकिन इस मसौदे को कानून में बदलने को लेकर कोई हलचल नजर नहीं आ रही है।

यह बहुत खेद की बात है कि श्रीकृष्ण समिति द्वारा प्रस्तावित निजता संरक्षण कानून की अनुपस्थिति में व्यावहारिक रूप से निजता का बचाव करना काफी कठिन है। दो वर्ष की इस अवधि में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन्होंने निजता को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक मंजूर हो गया और इस विधान में भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर शंका है। डीएनए न केवल संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा है बल्कि यह उन लोगों की निजता को पूरी तरह प्रभावित कर सकता है जिनका डीएनए परीक्षण किया गया है और जिसे भंडारित किया गया है।

सरकार ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि राज्यों के मोटर वाहन विभागों से वाहन पंजीयन सूची और वाहन चालन लाइसेंस के डेटा को भी निजी क्षेत्र की संस्थाओं को बेचा जाए। स्वैच्छिक माने जाने के बावजूद आधार को आय कर रिटर्न से जोड़ दिया गया है। आधार को निर्वाचन सूची से जोड़ने का भी प्रस्ताव है जबकि इससे मतदाताओं की असंवैधानिक प्रोफाइलिंग होने का खतरा है।

विभिन्न अदालतों में तमाम जनहित याचिकाएं लंबित हैं जिनमें कहा जा रहा है कि देश के नागरिकों को अपना आधार सोशल मीडिया अकाउंट और इंस्टैंट मेसेजिंग सेवा से जोड़ने को कहा जाए। तमिलनाडु सरकार समेत विभिन्न याचियों का कहना है कि ऐसा करने से फेक न्यूज पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकेगा। यह सही हो अथवा नहीं लेकिन सोशल मीडिया पर गोपनीयता का समाप्त होना वाक स्वतंत्रता पर भी असर डालेगा। अलोकप्रिय विचार रखने वाले या जरूरी खुलासे करने वाले नागरिकों की निजता तब बरकरार नहीं रह सकेगी। ऐसा लोकतंत्र जो निजता को मूल अधिकार मानता हो उसे फेक न्यूज का मुकाबला अलग तरीकों से करने वालों और आजाद खयाल लोगों को वरीयता देनी चाहिए।

इंटरनेट के प्रसार के इस दौर में निजता से जुड़े अन्य मसले भी जल्दी सर उठा लेंगे। चूंकि एक फ्रिज, वातानुकूलक या कार अब निजी बातचीत को सुन और देख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा उसे आगे भेज सकते हैं तो ऐसे में निकट भविष्य में निजता का मसला और गंभीर होता जाएगा। कानून ऐसा हो कि भविष्य में उसका फायदा न उठाया जा सके। उसे आगामी चुनौतियों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि निजता के क्षेत्र में कई चुनौतियों पर ध्यान देना होगा। डेटा वाकई डिजिटल सोना और राष्ट्रीय संसाधन है। इसके माध्यम से तमाम जन सेवाओं को शुरू किया जा सकता है और इस पर तमाम कारोबारी मॉडल स्थापित किए जा सकते हैं। परंतु इसे लोगों की व्यक्तिगत संपदा मानना होगा और इसे एकत्रित करने, भंडारित करने या बिना सहमति के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब तक निजता के बुनियादी उसूलों पर आधारित कानून नहीं बनता, अगस्त 2017 के पुत्तास्वामी फैसले का कोई खास मतलब नहीं होगा।

अजय मोहंती

वैश्विक और घरेलू माहौल तथा विकास संबंधी दुविधा

देश में एक असंभव त्रयी का मेल और वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी और भू-राजनैतिक उथलपुथल के कारण तमाम बड़ी चिंताएं उठ खड़ी हुई हैं। जानकारी प्रदान कर रहे हैं **अरुणाभ घोष**

देश के समक्ष विकास के जो भी विकल्प मौजूद हैं, उन पर घरेलू दुविधाओं और वैश्विक स्तर पर हो रहे तमाम बड़े बदलावों का बहुत अधिक प्रभाव है। घरेलू स्तर पर रोजगार, वृद्धि और स्थायित्व की एक असंभव त्रयी हमारे सामने है जहां तीन लक्ष्यों में से ज्यादा से ज्यादा दो पूरे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सौर पार्क स्थायी बुनियादी ढांचे में अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करते हैं लेकिन वे उतने रोजगार नहीं पैदा कर सकते जितने कि वितरण वाली ऊर्जा अधोसंरचना। प्राकृतिक ढंग से कृषि कार्य को बढ़ावा देना मिट्टी की सेहत के लिए अच्छा है। यह कार्बन उत्सर्जन कम करने और जल संरक्षण तथा श्रम को भी प्रोत्साहन देने वाला है लेकिन इससे कृषि उत्पादन में जो मूल्य वर्धन होगा वह उर्वरक उद्योग को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। देश के औद्योगिक उत्पादन में अहम हिस्सेदारी और वाहन तथा वाहन कलपुर्जा उद्योग को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की ओर आक्रामक पहलकदमी नए उभरते औद्योगिक क्षेत्र पर खेला गया दांव है लेकिन यहां भी दो विपरीत परिस्थितियों के बीच संतुलन कायम करने की स्थिति बनेगी।

बाहरी माहौल हमारे चयन को और बाधित करता है। जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक वातावरण को बहुत गहरे तक प्रभावित किया है। हमारी जैव विविधता को नुकसान पहुंचा है और जैव रासायनिक प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा हुई है। औद्योगीकरण में गिरावट उत्पादक वृद्धि का धीमा होना और असमानता में इजाफा होने के कारण पश्चिमी देशों ने वैश्विक एकजुटता से मुंह मोड़ा है। यह भरोसा कमजोर हुआ है कि बाजार आधारित वृद्धि से सामाजिक न्याय मिल सकता है। कृत्रिम मेधा, बड़े डेटा, स्वचालन, क्वांटम गणना आदि विसंगतिकारक तकनीक ने विभिन्न देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा की है और इससे तकनीक हासिल करने या उसका संरक्षण करने की प्रवृत्ति में भी इजाफा हुआ है। लोकलुभावनवाद और राष्ट्रवाद ने कई देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देना शुरू कर दिया है। ऐसे में विभिन्न गठजोड़ों की स्थिरता, कूटनयिक नियमों और सैन्य संबद्धता को प्रभावित किया है। इसके साथ ही मध्यस्थता के लिए जरूरी रहे संगठन भी तनाव महसूस कर रहे हैं। देश में इस असंभव त्रयी को हासिल करना और वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी और भूराजनैतिक विसंगतियों के कारण सात बड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं।

1. ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा: ये दोनों संसाधन सुरक्षित करने, सुरक्षित मार्ग, सुरक्षित भंडारण और सक्रिय अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर निर्भर करते हैं। केवल हाइड्रोकार्बन का आयात कम करने से बात नहीं बनेगी। नई तरह की निर्भरता पैदा होगी। मिसाल के तौर पर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों का कारोबार और सेवाओं या बैटरी आदि के लिए अहम खनिजों की आपूर्ति। इसके लिए मजबूत कारोबारी रिश्ते कायम करने होंगे, आपूर्ति शृंखला बनानी होगी और प्रभावी बहुपक्षीय संस्थानों की जरूरत होगी।

2. आर्थिक और पर्यावरण संबंधी कूटनीति: भारत ने पेरिस समझौते के जरिये जलवायु परिवर्तन के मामले में नेतृत्व क्षमता दिखाई। उसने सहयोग आधारित ऊर्जा सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठजोड़ की पहल की। अगले महीने भारत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। परंतु ये तो समय-समय पर होने वाले हस्तक्षेप हैं। सन 2022 तक जब भारत जी 20 देशों की बैठक की मेजबानी करेगा, तब तक उसे अपने व्यापारिक, वित्तीय और आर्थिक हितों को ऊर्जा, जलवायु और स्थायित्व के साथ जोड़ना होगा। विश्व स्तर पर एक अधिक स्थायी एजेंडे की आवश्यकता होगी।

3. रोजगार और व्यापार का माहौल: अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार वृद्धि को प्रभावित करता रहेगा। जाहिर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार कुछ समय तक रोजगार वृद्धि में सहायक नहीं होगा। भारत को घरेलू स्तर पर रोजगार पैदा करने होंगे। ऊर्जा परिवर्तन का दौर धीमी होती अर्थव्यवस्था में रोजगार का माध्यम बन सकता है।

4. जलवायु जोखिम और बुनियादी निवेश: देश की वृद्धि अब जलवायु के जोखिम से जुड़ी हुई है। आवास, परिवहन और उद्योग खासकर तटीय इलाकों में उद्योग जैसी बुनियादी सुविधाओं में निवेश को जोखिम उत्पन्न होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण वित्तीय संकट उत्पन्न होने के संकेत नजर आने लगे हैं। केंद्रीय बैंकों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

5. कार्बन सीमा समायोजन और व्यापारिक गतिरोध: कारोबारी विवाद स्वच्छ ऊर्जा की राह रोक रहे हैं। विभिन्न देश इसके बढ़ते बाजार में अपने हिस्से के लिए जूझ रहे हैं। भविष्य में जलवायु और ऊर्जा संबंधी विवाद बढ़ेंगे। सन 2019 के अंत तक यूरोपीय संघ 2050 तक कार्बन निरपेक्षता का समझौता कर सकता है। इसके तय होने के बाद देखना होगा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे देशों को दंडित करने के लिए कार्बन सीमा समायोजन कर कब लगाया जाता है। अमेरिका का रुख इस दिशा में काफी ढीला है। चीन कह सकता है कि उसके उत्सर्जन 2030 के पहले उच्चतम स्तर पर होंगे। वैश्विक व्यापार तंत्र में मची अफरातफरी देश के ऊर्जा चयन और विकास विकल्पों पर दबाव डालेगी।

6. घरेलू लोकलुभावनवाद और भू-राजनैतिक जोखिम: विकसित देशों में बढ़ती असमानता के कारण विरोध बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए लोकलुभावनवाद का अदूरदर्शी निर्णय लिया जा रहा है। कहीं और लिए जा रहे ऐसे निर्णय पड़ोसी देशों के माध्यम से भारत के लिए भू-राजनैतिक जोखिम पैदा कर सकते हैं। ईरान-अमेरिका विवाद इसका उदाहरण है। उसने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर असर डाला है। चीन और अमेरिका के तनाव के कारण चीन ने अहम खनिज आपूर्ति रोकने की धमकी दी है। ऐसे में भारत के लिए अन्य देशों के साथ तकनीकी सहयोग करना और निवेश जुटाना मुश्किल हो रहा है।

7. झटकों पर झटके: सन 2008 में केवल वैश्विक वित्तीय संकट नहीं आया था बल्कि उसके साथ वैश्विक खाद्य संकट भी उत्पन्न हुआ था। ऊर्जा की बढ़ी कीमतें, उर्वरक की बढ़ी लागत, खाद्य भंडार की कमी, अनाज से जैव ईंधन बनाना, मुद्रा का अवमूल्यन और विपरीत मौसम आदि के कारण खाद्य कीमतें तेजी से बढ़ीं। भारत को भविष्य में ऐसे झटकों से बचने की तैयारी रखनी होगी। इनमें जल संकट, कृषि नुकसान, ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ा तनाव, बढ़ते व्यापारिक विवाद, विपरीत मौसम की घटनाओं के चलते बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों का दिवालिया होना और पर्यावरण के चलते विस्थापित लोगों के आंदोलन आदि इसमें शामिल हैं। जलवायु को लेकर किए जाने वाले प्रयोग भविष्य में कृषि जैव विविधता आदि को लेकर अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं। उदाहरण के लिए समताप मंडल में सल्फेट के कण डालना। इसके कारण पूर्ण अशासित क्षेत्रों में राजनीतिक संघर्ष भी उत्पन्न हो सकते हैं।

यह कहना सही नहीं होगा कि हमारी विकास संबंधी दुविधा आसानी से दूर हो जाएगी। परंतु इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थायी शहरीकरण और हरित औद्योगीकरण के लिए अवसर भी हैं। इससे भारत को नई प्रतिस्पर्धी बढ़त मिल सकती है।

रिजर्व बैंक की राहत पाकर कहीं बेपरवाह न हो जाए सरकार

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के डेढ़ महीने बाद गत शुक्रवार को अपनी पहली बड़ी नीतिगत घोषणा की जिसे बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने भी काफी पसंद किया। बीएसई का बेंचमार्क सेंसेक्स सोमवार को कारोबार के दौरान करीब 800 अंक चढ़ गया। अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता बहाल होने की उम्मीदों ने भी समूचे बाजार का मनोबल बढ़ाया लेकिन सीतारमण की घोषणाओं के अनुकूल असर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सोमवार शाम को इससे भी बड़ी घोषणा की गई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निदेशक मंडल की बैठक में विमल जालान समिति की अनुशंसाएं स्वीकार कर लिए जाने की जानकारी एक बयान में दी गई। जालान समिति ने आरबीआई की आकस्मिक निधि के लिए जरूरी पूंजी, मुद्रा एवं स्वर्ण भंडार संबंधी प्रावधानों की समीक्षा कर कुछ सुझाव दिए थे। इन सुझावों को स्वीकार करने का मतलब है कि आरबीआई को अपने आरक्षित भंडार से 1.76 लाख करोड़ रुपये सरकार को देने होंगे। इसमें से 52,637 करोड़ रुपये अधिशेष आकस्मिक निधि संबंधी प्रावधानों के मद में और 1.23 लाख करोड़ रुपये लाभांश के तौर पर दिए जाएंगे। लाभांश की राशि में से 28,000 करोड़ रुपये तो आरबीआई कुछ महीने पहले ही अंतरिम लाभांश के तौर पर सरकार को दे चुका है। सरकार ने उस राशि को 2018-19 के अपने राजस्व का हिस्सा भी बताया था।

इस तरह वर्ष 2019-20 में सरकार को आरबीआई से कुल 1.48 लाख करोड़ रुपये का राजस्व ही मिलेगा। इस साल के आम बजट में आरबीआई से 90,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का प्रावधान रखा गया था। इस तरह केंद्र सरकार को इस साल अब 58,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि ही मिलेगी। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का महज 0.3 फीसदी है। इसके बावजूद शेयर बाजारों ने आरबीआई से सरकार को बड़ी राशि मिलने की घोषणा का दिल खोलकर स्वागत किया और मंगलवार को बाजार 147 अंक चढ़ गया। सरकार की राजकोषीय स्थिति थोड़ी बेहतर होने और उसकी उधारी पर दबाव कम होने की आशा में सरकार के 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल भी सुधरना शुरू हो गया।

हालांकि खतरा यह है कि बाजार में उत्साह का यह दौर सरकार के भीतर यह भ्रम पैदा कर सकता है कि अर्थव्यवस्था की सारी चिंताएं खत्म हो चुकी हैं और समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। ऐसा होना बेहद खतरनाक होगा। कोई भी कदम अर्थव्यवस्था की गहरे तक धंसी समस्याओं को दूर करने का सुनिश्चित एवं टिकाऊ तरीका नहीं है। अभी तक अपनाए गए कदमों की अपनी सीमाएं हैं और सरकार बाजार की सोच बदलने में कामयाबी को लेकर अधिक खुशी न ही मनाए तो बेहतर होगा।

शुक्रवार को वाहन क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज पर गौर करते हैं। इससे वाणिज्यिक एवं यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ने में मदद मिलेगी क्योंकि मार्च 2020 के पहले इन वाहनों की खरीद पर मिलने वाले कर लाभ का फायदा हर करदाता उठाना चाहेगा। इसी तरह बीएस-4 इंजन वाले वाहनों को पंजीकरण के 10-15 साल बाद तक परिचालन की अनुमति मिलने से भी वितरकों के पास धूल खा रही गाड़ियों की मांग बढ़ सकती है। पंजीकरण मानकों में ढील देने और पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप नीति लाए जाने से भी गाड़ियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद जगी है।

लेकिन इन उपायों का असर कम अवधि तक ही रहेगा। अगले साल में गाड़ियों की मांग को लेकर वाहन क्षेत्र और सरकार फिक्रमंद बनी रहेगी। वाहन उद्योग का जीडीपी में करीब सात फीसदी हिस्सा है। समूते विनिर्माण क्षेत्र का करीब आधा वाहन उद्योग में ही है और सीधे एवं परोक्ष तौर पर करीब 80 लाख लोगों को रोजगार देता है। बिजली के बगैर चलने वाली गाड़ियों की दीर्घावधि मांग को लेकर दुनिया भर में आशंकाएं जताई जा रही हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। तकनीक का प्रभाव, सहभाजन अर्थव्यवस्था का उदय और युवाओं के बीच सवारी गाड़ियां खरीदने की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते गाड़ियों की मांग में सुस्ती जारी रहेगी। केवल इस वर्ष के लिए वाहन क्षेत्र की सुस्ती दूर करना ही काफी नहीं है।

सरकार के लिए इतना ही अहम मुद्दा यह है कि वित्त मंत्री की कई घोषणाओं के तीव्र एवं सहज क्रियान्वयन पर ध्यान बना रहे। राहत उपायों की घोषणा मौजूदा आर्थिक सुस्ती के नुकसान को दूर करने की शुरुआत भर है। इन घोषणाओं के जमीनी स्तर पर त्वरित क्रियान्वयन से ही तय होगा कि यह राहत पैकेज कितना असरदार होगा? मसलन, पुराने वाहनों की स्क्रैप नीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। अगर यह विचार विभिन्न मंत्रालयों की विरोधाभासी राय का शिकार हो जाता है तो स्क्रैप नीति लाने में देरी होगी और इच्छित सुधार अधिक दूर हो जाएगा।

सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए फौरन 70,000 करोड़ रुपये जारी करने के फैसले के भी क्रियान्वयन के लिए सजग तैयारी एवं योजना की जरूरत पड़ेगी। क्या अपेक्षाकृत सेहतमंद एवं बकाया कर्ज की वसूली में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले बैंकों को पुनर्पूंजीकरण योजना का इस्तेमाल योग्यता-आधारित तरीके से करना चाहिए? क्या इस पैकेज के साथ सार्वजनिक बैंकों के एकत्रीकरण का नया दौर भी शुरू करना चाहिए? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों के बकाया कर्ज का एकमुश्त समाधान करने वाली योजना के संदर्भ में भी ऐसी ही सजगता की जरूरत है। बकाये का निपटान करने का असर कर्जदारों के बीच भुगतान अनुशासन पर प्रतिकूल रूप से न पड़े। आखिरकार, जालान समिति की अनुशंसाओं के मुताबिक 58,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिलने के बाद सरकार को जेब ढीली करने के दबाव से बचना होगा। कर राजस्व में गिरावट के खतरे असली हैं, लिहाजा इस अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल प्रोत्साहन के बजाय इस राजस्व कमी की भरपाई में करना सही होगा।

कानाफूसी

टाइम बैंक का अनूठा प्रयोग

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार राज्य में अपनी तरह का अनूठा टाइम बैंक यानी समय बैंक बनाने जा रही है। सरकार का इरादा इस पहल के जरिये बुजुर्गों और अकेले रहने वाले लोगों को सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लोग स्वेच्छा से दूसरों की सहायता कर सकते हैं। वे जितना समय दूसरों की सहायता में लगाएंगे उतने घंटे एक तरह की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत उनके निजी खाते में जमा कर दिए जाएंगे। जब वे बुजुर्ग हो जाएंगे और उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी तो उन्हें उतने घंटे की सहायता सुनिश्चित की जाएगी जितने उन्होंने दूसरों की सेवा में लगाए होंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि अगर इस पर पूर्ण सहमति बन गई तो यह अपनी तरह का अनूठा प्रयोग होगा।

जाति पर बवाल

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अनुसूचित जनजाति से होने का दावा खारिज कर दिया है। हालांकि अभी तक समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जोगी ने कहा है कि समिति का निष्कर्ष गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति प्रदेश की कांग्रेस सरकार से प्रभावित है। समिति का गठन सन 2018 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ था। समिति ने पाया कि जोगी कंवर समुदाय से ताल्लुक रखने के अपने दावे के पक्ष में ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। समिति ने बिलासपुर के जिलाधिकारी को अधिकृत किया है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक दर्जा प्रमाणन नियमन) नियम 2013 के अनुरूप आगे कदम उठाएं। समिति ने अतीत में जोगी को जारी किए गए तमाम जाति प्रमाणपत्रों को भी खत्म करने की बात कही है।

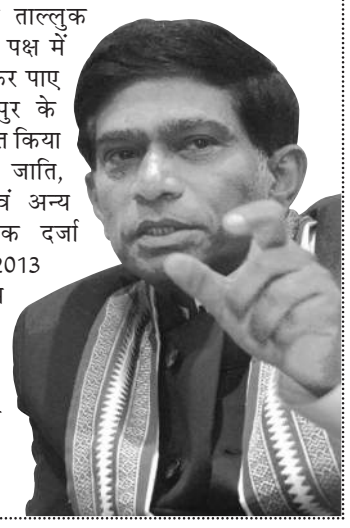

आपका पक्ष

मुफ्त के बदले सुविधा विस्तार पर हो जोर

दिल्ली सरकार ने पानी का बिल माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ई, एफ, जी, एच श्रेणी की चार कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के मीटर अगर चालू हैं तो पानी का बकाया माफ कर दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रति माह 20 हजार लीटर तक पानी का बिल माफ करने की घोषणा की थी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने बिजली के बिलों में भी 50 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की थी। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति 200 यूनिट कर प्रति माह बिजली खर्च करता है तो उसका बिल आधा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर करने की भी घोषणा की है। वहीं दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर करने पर विचार कर रही है लेकिन मेट्रो तथा केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी अब तक नहीं मिल सकी है। दिल्ली मेट्रो में केंद्र और राज्य सरकार की आधी-आधी हिस्सेदारी है। दिल्ली सरकार की घोषणाओं पर गौर करें तो दिल्ली में बिल माफ करने के बजाय पानी की आपूर्ति पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। आज भी कई कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है। अगर दिल्ली में बस की बात करें तो सफर मुफ्त करने की। वहीं मेट्रो की बात करें तो अभी भी दिल्ली की कई जगहों में मेट्रो नहीं पहुंच सकी है जिसके विस्तार की जरूरत है। मेट्रो में सफर मुफ्त करने के बजाय अगर दिल्ली सरकार फंड मुहैया कराये तो उन जगहों में भी मेट्रो पहुंच सकती है। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त वाली घोषणाओं के जरिये मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते दिख रही है। आम लोगों को अगर अपने-अपने क्षेत्र में विकास देखना है तो उन्हें मुफ्त मिल रही चीजों के बदले सुविधाओं के विस्तार पर अधिक जोर देने की जरूरत है। उदाहरण के लिए अगर पानी सिर्फ दो समय आता है तो उसे 24 घंटे आपूर्ति करने की जरूरत है, न कि दो समय दो-दो घंटे आने वाले पानी के लिए बिल माफ करने की जरूरत है।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने पानी का बिल माफ करने की घोषणा की *-पीटीआई*

पर्यावरण के लिहाज से सीएनजी बसों के बदले इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की जरूरत है जिस पर दिल्ली सरकार को अधिक ध्यान देने की जरूरत है, न कि

नदी जोड़ो परियोजना पर हो काम

बारिश आने के पहले कई योजनाएं तो बनती हैं, मगर उन पर अमल होना बड़ा मुश्किल काम है। अधिकारियों के साथ जनता भी इस काम में सहयोग करेगी तो बाढ़ की समस्या का समाधान होने से कोई रोक नहीं सकता है। देश की सभी नदियों को आपस में जोड़ना होगा और पानी को एक जगह जमा करके जरूरत के मुताबिक सभी जगह पहुंचाना होगा। बाढ़ के पानी के निकलने के लिए रास्ते बनाए जाने चाहिए। बाढ़ पीड़ितों की राशि सही हाथों में पहुंचाना भी सुनिश्चित करना होगा। कुल मिलाकर बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान तभी हो सकता है जब सरकार और आम जन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मिलकर काम करें।

ओमप्रकाश मालवीय, भोपाल

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।